भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1165
मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद की बिक्री के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना

1165. श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेतक उत्पादों (जी.आई.) और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश सहित अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपनी राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; और

(ख) पहले की योजनाओं के शुभारंभ के बाद से इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा तथा वर्ष-बार अब तक स्वीकृत/खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : सभी राज्यों को केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम एकता मॉल को राज्य की राजधानी या विख्यात पर्यटन केंद्रों या वित्तीय राजधानी में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि देश भर के ओडीओपी उत्पादों (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन दिया जा सके और इसकी बिक्री की जा सके। इसमें आंध्र प्रदेश राज्य सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अपने ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्थान भी सुनिश्चित किया गया है।

(ख) : पूर्व में तुलना करने योग्य ऐसी कोई प्रतिस्पर्धी स्कीम नहीं थी। तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 में, 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम 2023-24 (एसएएससीआई) भाग-VI (यूनिटी मॉल)' के तहत सभी राज्यों में पीएम एकता मॉल के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। इस स्कीम के अंतर्गत, व्यय विभाग ने 27 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदित किया और इन राज्यों को निधि जारी करने संबंधी पत्र जारी किए गए। स्वीकृत/जारी की गई निधि का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1165 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत एकता माल की संख्या	डीओई द्वारा स्वीकृत राशि, वित्त वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपए में)	प्रथम किस्त की राशि, (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	1	172	86
2	अरुणाचल प्रदेश	1	188	94
3	असम	1	226	113
4	बिहार	1	212.689	106.3445
5	छत्तीसगढ़	1	200.77	100.385
6	गोवा	1	100	50
7	गुजरात	1	202	101
8	हरियाणा	1	155	77.5
9	हिमाचल प्रदेश	1	132	66
10	झारखंड	1	162.92	81.46
11	कर्नाटक	1	192.99106	96.49553
12	केरल	1	120	60
13	मध्य प्रदेश	1	284	142
14	महाराष्ट्र	1	195.136	97.568
15	मणिपुर	1	149	74.5
16	मेघालय	1	132	66
17	मिजोरम	1	127	63.5
18	नागालैंड	1	145	72.5
19	ओडिशा	1	187.12	93.56
20	पंजाब	1	159	79.5
21	राजस्थान	1	202	101
22	सिक्किम	1	106	53
23	तमिलनाडु	1	223	111.5
24	तेलंगाना	1	202	101
25	त्रिपुरा	1	114	57
26	उत्तर प्रदेश	3	370.247	185.123
27	उत्तराखंड	1	136	68
	कुल	**29**	**4795.87306**	**2397.93603**

*****